मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक–09.07.2019 का कार्यवृत्त

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा –215(2) एवं 215(3) के अन्तर्गत परिवहन अनुभाग–3 के अधिसूचना संख्या–23/542/30–3–15–78एम/2014 दिनॉक 13.03.2015 द्वारा गठित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद तथा जनपद स्तीरय सड़क सुरक्षा समिति के अतिरिक्त जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनॉक 09.07.2019 को मण्डलीय सड़क सुरक्षा की बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया :–

1– श्री राजेश पाण्डेय, पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली।
2– श्री सुभाष गंगवार, पुलिस अधीक्षक(यातायात), बरेली।
3– श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक (नगर), बंदायूँ।
4– मुख्य अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0डी0 बरेली।
5– डा0 नरेन्द्र कुमार, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बरेली।
6– डा0 प्रदीप कुमार, संयुक्त निदेशक शिक्षा, बरेली।
7– डा0 अनिल कुमार गुप्ता, सम्भागीय परिवहन अधिकारी बरेली।
8– श्री जय शंकर तिवारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बरेली।
9– श्री जे0पी0 गुप्ता, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली।
10–श्री मनोज प्रसाद वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), शाहजहॉपुर।
11–श्री अमिताभ राय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पीलीभीत।
12–श्री सुहेल अहमद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बदायूँ।
13–श्री एस0एन0 सिंह, संयुक्त निदेशक (बी) शिक्षा विभाग, बरेली।
14–श्री एस0के0 अम्बेडकर, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, बरेली।
15–श्री एस0एस0 चौहान, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, बरेली।
16–श्री योगेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी, सदर बरेली।
17–श्री एम0एस0 रावत, क्षेत्राधिकारी, तिलहर शाहजहॉपुर।
18–श्री डी0के0 मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0 बदायूँ।
19–श्री बी0एम0शर्मा, अधिशासी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 बदायूँ।
20–श्री हरबंस सिंह, अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, बरेली।
21–श्री प्रवीण कुमार, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बदायूँ।
22–श्री प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियन्ता सी0डी0 लो0नि0वि0 बदायूँ।
23–श्री अनिल कुमार राणा, अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 पीलीभीत।
24–श्री एस0पी0 सिंह, लो0नि0वि0 पीलीभीत।
25–श्री अजहर हुसैन, उप्सा बरेली।
26–श्री एन0पी0 सिंह, एन0एच0ए0आई0, बरेली।
27 श्री आकाश, एन0एच0ए0आई0, बरेली।
28–श्री मो0 वसीम खान, प्रतिनिधि दि न्यू इंडिया इन्स्योरेंस कं0लि0, बरेली।
29–श्री राम कृष्ण शुक्ला, जिलाध्यक्ष ट्रक यूनियन, बरेली।

अध्यक्ष महोदय के अनुपालन आख्या के संदर्भ में विचार–विमर्श किया गया।

1– <u>एजेण्ड बिन्दु–1</u> :– सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनॉक 22.01.2019 को सम्पन्न हुयी बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की समीक्षा की गयी। पूर्व में दिये गये निर्देशों के कम में सड़क दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण किया गया जैसे–बिना हैल्मेट वाहन चालाने के कारण, बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाने के कारण, तेज गति से वाहन चलाने के कारण आदि से हुयी दुर्घटनाओं के ऑकड़े के साथ उनकी समीक्षा की गयी।

2– <u>एजेण्डा बिन्दु –2</u> :– अध्यक्ष महोदय को सड़क दुर्घटनाओं किन–किन कारणों से हुयी है। इस संबंध में दिनाँक 01.02.2019 से 30.06.2019 तक मण्डल के चारों जनपदों की दुर्घटनाओं के कारणों को ऑकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया। ऑकड़ों के अनुसार पाया गया कि बिना हैल्मेट के कारण जनपद बरेली में 27, जनपद बदायूँ 51, पीलीभीत 04 एवं शाहजहाँपुर में 16 दुर्घटनाएँ घटित हुयी। इसी प्रकार सीट बैल्ट न लगाये जाने के कारण बरेली में 07, बदायूँ में 28, पीलीभीत शून्य एवं शाहजहाँपुर में 07, तेज रफ्तार के कारण बरेली में 179, बदायूँ 25, पीलीभीत में 08 एवं शाहजहाँपुर में 13 दुर्घटनाएँ, गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण जनपद बरेली में 05, बदायूँ में 08, पीलीभीत में शून्य एव शाहजहाँपुर में 09 दुर्घटनाएँ, डिवाईडर न होने के कारण बरेली में 07, बदायूँ में 06, पीलीभीत में शून्य एवं शाहजहाँपुर में शून्य, नशे में वाहन चलाने के कारण बरेली में 06 बदायूँ में 04, पीलीभीत एवं शाहजहाँपुर शून्य, सड़क में गड्डे होने के कारण बरेली में 02, बदायूँ में 07, पीलीभीत एवं शाहजहाँपुर शून्य, वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करने के कारण बरेली में 04, बदायूँ में 03, पीलीभीत शून्य एवं शाहजहाँपुर में 11 दुर्घटनाएँ घटित हुयी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा तेज रफ्तार के कारण हुयी अधिक दुर्घटनाओं पर रोश प्रकट किये। बरेली में एवं पीलीभीत में तेज गति से वाहन चलाने वालों पर नियंत्रण करने हेतु पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि तेज़ गति से वाहन चालने वाले चालकों का डी0एल0 के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। एन0एच0ए0आई0 एवं उप्सा को भी यह निर्देशित किया गया कि टोल प्लाजा पर भारी वाहनों के आवा–गमन का समय सीमा निर्धारण कर दिया जाए। इस आशय का एक विज्ञापन भी निकाला जाए कि वाहन को तेज गति से न चलाया जाए, वाहन तेज गति से चलाने के कारण मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। उप्सा के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नैनीताल रोड पर स्वीकृत कट की सूची प्रेषित की जाए एवं अवैध कट को तत्काल बन्द कराते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित की जाए। टोल प्लाजा पर हैल्मेट एवं सीट बैल्ट न लगाये जाने वालें चलाकों का साफ्टवेयर में रिकार्ड दर्ज करते हुए परिवहन विभाग को फोटो सहित भेजा जाए। परिवहन विभाग उन वाहनों का चालान करते हुए चालकों को सूचित करेंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि एन0एच0ए0आई0 को निर्देशित किया गया कि हाई–वे पर इस आशय का बोर्ड लगाये कि ओवरटेकिंग सभी वाहन दॉयी ओर से करेंगे। धीमी गति वाले वाहन बॉये ओर ही रहे। सरकारी वाहन के चालक यदि सीट बैल्ट नहीं लगाये हो तो उसका भी चालान कर दिया जाए।

(कार्यवाही – परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, एन0एच0ए0आई0, यातायात विभाग)

3– <u>एजेण्डा बिन्दु–3</u> :– जनपद में वर्ष में 6 बैठक एवं मण्डलीय स्तरीय सड़क सुरक्षा की 4 बैठक निर्धारित की गयी है परन्तु जनपद बरेली में वर्ष में कुल 3 बैठक, जनपद बदायूँ में कुल 4 बैठक, जनपद पीलीभीत में 4 बैठक एवं जनपद शाहजहाँपुर में कुल 3 बैठक करायी गयी तथा मण्डल स्तरीय वर्ष में 2 बैठक करायी गयी । अध्यक्ष महोदय असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि वर्ष में निर्धारित सभी बैठके नियमित रूप से करायी जाय।

(कार्यवाही– परिवहन विभाग)

4– <u>एजेन्डा बिन्दु–4</u> :– मण्डल के जनपद बरेली में पुराने 08 ब्लैक स्पॉट्स, पीलीभीत में 09 एवं शाहजहाँपुर में 01 चिन्हित थे, जिसमें सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बरेली द्वारा बताया गया कि 06 ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्य करा दिये गये है। शेष 02 ब्लैक स्पॉट्स पर कार्य किया जा रहा है। जनपद पीलीभीत में 07 ब्लैक स्पॉट्स पर कार्य हो चुका है तथा 02 ब्लैक स्पॉट्स लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0एच0ए0आई0 को स्थानान्तरण कर दिया गया है। जनपद शाहजहाँपुर पर में 01 ब्लैक स्पॉट्स पर साईनेज बोर्ड लगा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद शाहजहाँपुर में 01 ब्लैक स्पॉट्स पर जिग–जैग लगा दिया जाए, ताकि उस स्थान पर दुर्घटनाएँ न हो। साथ ही साथ अनुपालन प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए पुराने सभी ब्लैक स्पॉट्स को शून्य कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त जनपद बरेली में नये 06 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किये गये है, जिसमें सुधारात्मक कार्य अभी नहीं किया गया है। जनपद बदायूँ में राज्य मार्ग पर 32 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित है, जिसमें 21 पर सुधारात्मक कार्य हो चुका है। शेष ब्लैक स्पॉट्स में एक माह में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बदायूँ द्वारा सुधारात्मक कार्य कराने का आश्वासन दिया गया है। जनपद पीलीभीत में कुल 15 ब्लैक स्पॉटस चिन्हित है, जिन पर सुधारात्मक कार्य जारी है।

जनपद शाहजहाँपुर में 47 ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा जल्द ही सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बरेली जनपद में इन्वर्टिज चौराहा पर हाई मॉस्क लाईट जो कि अभी प्रकाशित नहीं है। महोदय द्वारा तत्काल विद्युत विभाग अभियन्ताओं को बुलाकर उप्सा द्वारा इस्टीमेट प्राप्त कर विद्युत कनेक्शन देने हेतु निर्देशित किया गया तथा एन0एच0ए0आई0 को यह भी निर्देशित किया गया कि वे हाई-वे पर इस प्रकार के बोर्ड लगा दिया जाए कि बरेली से लखनऊ की दूरी 06 घण्टे में तय होगी। चारों जनपदों द्वारा प्रेषित सम्भावी दुर्घटना के दृष्टिगत असुरक्षित स्थान (Vulnarable Location) पर ततकाल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री बन्सल परियोजना निदेशक एन0एच0ए0आई0 मुरादाबाद बैठक में उपस्थित न होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा बहुत ही नाराजगी व्यक्त की गयी एवं चेतवानी दी गयी कि भविष्य में बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही–परिवहन विभाग, एन0एच0ए0आई0 एवं पी0डब्लू0डी0)
बरेली / बदायूँ / पीलीभीत / शाहजहाँपुर।

5– <u>एजेन्डा बिन्दु–5</u> – सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत जनपद बरेली में 04 प्रकरण, बदायूँ में 08, पीलीभीत में 03 एवं शाहजहाँपुर में 37 प्रकरण शेष बताये गये। शाहजहाँपुर में लम्बित प्रकरण को तत्काल अखबार में विज्ञापन देकर संबंधित व्यक्तियों को भुगतान कराने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही–जिला प्रशासन, परिवहन विभाग एवं बीमा कम्पनी)

6– <u>एजेन्डा बिन्दु–6</u> – सार्वजनिक सेवायान से घटित दुर्घटनाओं में परिवहन विभाग द्वारा दिये जाने वाले सहायता राशि के लम्बित मामलों में जनपद बरेली में 07 प्रकरण लंबित है, बदायूँ में 01, पीलीभीत में 09 प्रकरण एवं शाहजहाँपुर में 10 प्रकरण दिनॉक 30.06.2019 तक लम्बित दिखाये गये है । अध्यक्ष महोदय द्वारा शाहजहाँपुर में लम्बित प्रकरणों की सूची प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही–जिला प्रशासन, परिवहन विभाग)**

7– <u>एजेन्डा बिन्दु–7</u> अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नशे की हालत में ड्राइविंग करने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस दिनॉक 01.01.2019 से 30.06.2019 तक बरेली में 71 बदायूँ में 19, पीलीभीत में 25 एवं शाहजहाँपुर में 262 लाईसेंस निलम्बन / निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की गयी। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लाईसेंस निलम्बन की संख्या बहुत कम है तथा इस पर कार्यवाही अधिक से अधिक की जाए। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बरेली ने अनुरोध किया कि पुलिस विभाग द्वारा नशे के अभियोग में किये गये चालानों को परिवहन विभाग को प्रेषित करें, जिससे चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस निलंबित/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही– परिवहन विभाग और पुलिस विभाग)

8–<u>एजेन्डा बिन्दु–8</u> माह जनवरी, 2019 से सड़क सुरक्षा हेतु चलाये गये जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण फोटो सहित अध्यक्ष महोदय को अवलोकित कराया गया।

(कार्यवाही– परिवहन विभाग)

9–<u>एजेन्डा बिन्दु–9</u> विद्यालयों में संचालित स्कूली वाहनों को घरैलू गैस किट से न चलने हेतु मना किया गया। इसके परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि ऐसे वाहनों को जो घरेलू गैस किट से संचालित होती पायी जाती है तो उसे तत्काल निरूद्ध कर दिया जाए। संयुक्त निदेशक शिक्षा को निर्देशित किया गया कि सभी विद्यालयों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए और उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाए एवं इस प्रकार का एक रजिस्टर बनाया जाये कि उस वाहन में आने वाले सभी बच्चों की उपस्थित दर्ज हो एवं वाहन चालक पूर्णतः प्रशिक्षित हो, उसी चालक को स्कूली वाहन चलाने की अनुमति दी जाए। संयुक्त निदेशक शिक्षा / बेसिक शिक्षा अधिकारी / डी0आई0ओ0एस0 समय समय पर उक्त रजिस्टर की जॉच करेंगे। **(कार्यवाही– परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग)**

अध्यक्ष महोदय द्वारा दुर्घटनाओं को रोकनें के लिए हर संभव प्रयास किये जाने के निर्देशोपरान्त मण्डलीय सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक समाप्त की ।

17.7.19

सदस्य/सचिव
सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)
मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति, बरेली

अध्यक्ष/आयुक्त
मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति
बरेली।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली

पत्रांक 514 /म0स0सु0स0बै0/2019 दिनांकः 17-7-,2019

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली ।
3. अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0एवं आई0टी0) उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4. जिलाधिकारी, बरेली/बदायूँ/पीलीभीत/शाहजहाँपुर ।
5. वरि0पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर।
6. मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य/उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि गण।

17.7.19

सदस्य/सचिव
संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)
मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति